FP/JH/TRANS/41236/2019



भारत सरकार / Government of India पर्यावरण, वन एवं जतवायु परिवर्तन मंत्रातय

Ministry of Environment, Forest & Climate Change

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय/Integrated Regional Office पताः हितीप तत्, सारवण्ड राज्य आवास वीर्ड मुख्यात्तपः हरम् चीकः राषीः सारवण्ड - 834002 oor, Headquarter Therkhand State Housing Board, Harmu Chowk; Ranchi, Jharkhand - 834002

Tel: 06E1-2410002, Z410007; E-mail: To.ranchi-mef@gov.in



दिनांक: 07.03.2023

संख्याः FP/JH/TRANS/41236/2019/964

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी (एफ.सी.) वन, पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंण्ड सरकार, वन भवन, डोरंडा, राँची - 834002

Subject: Diversion of 197,0115 ha (Chatra North - 61,772 ha; Chatra South - 119,8806 ha & Lateliar - 15.3589 ha) forest land in favour of North Karanpura Transco Limited for construction of 400 KV D/C Transmission Line from North Karanpura (Tandwa) to Gaya Transmission Line under Chatra North, Chatra South & Latchar Forest Division in Chatra districts of Jharkhand-reg.

Reference: 59th REC meeting of IRO, Ranchi held on 21.02.2023

Sir.

I am directed to draw your kind attention towards the above-mentioned FC proposal, the said proposal was discussed in the 59th REC meeting with special emphasis on violation over GMJJ (Gair Majarua Jungle Jhari) land as reported by IRO, Ranchi during examination of the proposal. The committee recommended the proposal for inprinciple approval provided the anomaly related to the reported violation is mitigated by the state government. Therefore, the committee has demanded the following specific information related to the proposal:

The proposal apparently involves violation over GMJJ land which is neither under jurisdiction nor under management/ownership of state forest department. Revenue Department of Jharkhand has jurisdiction over such land, however, JJ land falls under deemed forest category. Therefore, either such violation be compounded appropriately by state government before forwarding the proposal to central government or should clearly specify the penal provisions to be undertaken along with recommendation of the department having the jurisdiction on the land.

The Committee opined that a detailed report in the may be submitted by the State Forest ii. Department regarding the extant proposition.

The Committee opined, if user agency has started work on GMJJ while the FC proposal is iii. still at processing level, the FC violation should be dealt as per FC Handbook's para 1,21(ii) a & b only, whereas the Penal CA DFL area should have been 10 times of the area involved in the proposal with 5 times of NPV from regular NPV rates.

Committee raised question over employment generation and suggested UA to submit the iv. DPR/report prepared in the proposal to justify/clarify it.

Wildlife Management Plan, soil and moisture conservation plan with approval of Chief Wildlife Warden to be submitted before the final approval.



1/39380/2023

FP/JH/TRANS/41236/2019

The Committee recommended the proposal for "in-principle" approval after 'he receipt of required report/reply/undertakings as enumerated above.

This is submitted for your kind consideration please.

आपका विश्वासभाजन

सहायक वन महानिरीक्षक

झारखण्ड सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-31/2022- १९५५ व०प०, राँची, दिनांक- / ए/ ७३/ २०२-२ प्रेषक,

> जलज कुमार, उप परामर्शी।

सेवा में.

धान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय: - मेसर्स नार्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लि0 द्वारा चतरा जिला अंतर्गत नार्थ कर्णपूरा (टंडवा) से गया तक 400 के0भी0 डी0सी0 ट्रांसिमशन लाईन निर्माण हेतु कुल 197.0115 हे0 (चतरा उत्तरी-61.772 हे0, चतरा दक्षिणी-119.8806 एवं लातेहार-15.3589 हे0) वनमूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक-FP/JH/TRANS/41236/2019 दिनांक-07.03.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र दिनांक-07.03.2023 की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन विभाग को शीध उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

यक्षोदित

विश्वासमाजन

दिनांक 14/03/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह-कार्यक्रिक्णिज्ञक्रे के क्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह-कार्यक्रिक्णिक, स्म प्रथमशी। बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राची। वन मवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email: pecf-eclnodal@gov.in ज्ञापांक 2.6.6. प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलाम् / हजारीबाग / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/चतरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा र्जितरी/चतरा दक्षिणी/लातेहार वन प्रमंडल/मेसर्स नोर्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लि0 बरियातू राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि भारत सरकार एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक 964 दिनांक 07.03.2023 द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का पूर्ण एवं बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जार

कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।

ज्ञापांक :

676

दिनांक : 16.3.2023

प्रतिलिपि:— वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा / वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल / चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा पांच बिन्दुओं पर की गई पृच्छा का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन अपने मंतव्य सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना स्निश्चित करें।

क्षेत्रीय मुख्य वून संरक्षक

कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल।

ज्ञापांक - ... 659 /दिनांक - ... 18.03.22

प्रतिलिपि:— श्री राघवेन्द्र कुमार, उप महाप्रबंधक, मेसर्स नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड, रांची को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उल्लेखित पत्र में भारत सरकार द्वारा पांच बिन्दुओं पर की गयी पृच्छा का बिन्दुवार निराकरण करते हुए पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब इस कार्यालय में समर्पित करने का कष्ट करें, तािक उच्चािधकारियों को समर्पित किया जा सके।

ने न्ये कि देर